1. गोबिन्द प्रसाद तनय श्री संकठा प्रसाद,

2. देवराज तनय श्री संकठा प्रसाद,

3. रामराज तनय श्री संकठा प्रसाद,

4. रामप्रकाश तनय श्री चंन्द्रमणि,

5. भरतलाल तनय श्री चंन्द्रमणि,

6. रामोला पत्नी श्री चंन्द्रमणि,

सभी निवासी डेल्ही तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

............................**निगरानीकर्तागण**

बनाम

सूर्य प्रसाद उर्फ सूरज प्रसाद मृतक द्वारा वारिषान–

1. हीरामणि तिवारी तनय स्व0 सूर्य प्रसाद

2. मोहनलाल तिवारी तनय स्व0 सूर्य प्रसाद

3. जयप्रकाश तिवारी तनय स्व0 सूर्य प्रसाद

4. सावित्री पुत्री स्व0 सूर्य प्रसाद

5. पुल्ली पुत्री स्व0 सूर्य प्रसाद

6. एगसिया पुत्री स्व0 सूर्य प्रसाद

सभी निवासी ग्राम डेल्ही तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0

........**गैरनिगरानीकर्तागण**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 343–तीन/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–2–2015	आवेदक अभिभाषक श्री गंगा प्रसाद तिवारी उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मनगवां जिला रीवा के प्रकरण कमांक 22/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 06–3–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश के द्वारा बिना आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिये सीमांकन एवं नक्शा तरमीम किया। उनका यह भी तर्क है कि आवेदकों की अनुपस्थिति में नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई। आवेदक अभिभाषक ने यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्षियों के कथन लिये बिना मौके की स्थिति व पुल्ली के विपरीत नक्शा तरमीम कार्यवाही की है। अतः प्रकरण ग्राह्य करने का अनुरोध किया गया। 4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक सूर्यप्रसाद द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसपर राजस्व निरीक्षक द्वारा नजरी नक्शा प्रतिवेदन सहित दिनांक [illegible] को तहसीलदार को प्रेषित किया।	

आवेदकों द्वारा उक्त सीमांकन पर आपत्ति पेश की गई, जिसका निराकरण तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 5–7–12 के द्वारा किया गया तथा राजस्व निरीक्षक को दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिअनुसार तरमीम तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। राजस्व निरीक्षक द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः दिनांक 26–12–12 को नक्शा तरमीम एवं सीमांकन की कार्यवाही संपादित कर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया, जिसकी पुष्टि तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 6–3–13 के द्वारा की गई है। प्रकरण में सलंग्न आदेश पत्रिका एवं स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की उपस्थिति एवं आपत्ति का निराकरण करने के उपरांत ही सीमांकन अथवा नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया कि आवेदकों की उपस्थिति में सीमांकन/नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है तथा तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 6–3–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29–1–15 को लगभग दो वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसका कोई समाधानकारक कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः निगरानी समयावधि बाह्य होने से ग्राहयता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य